असहमति, कानूनी बचाव, संगठित होने की आजादी

मानवाधिकार संरक्षकों को तुरन्त रिहा करो!

भीम 5+5 को तुरन्त रिहा करो!

28 अगस्त 2018

- सुधा भारद्वाज (वकिल, प्रोफेसर एवं मानवाधिकार संरक्षक)
- गौतम नवलखा (लोकतांत्रिक व मानवाधिकार कार्यकर्ता)
- अरूण फरैरा (वकिल व श्रमिक एवं मानवाधिकार संरक्षक)
- वरनन गोन्जल्वीस (वकिल, मानवाधिकार संरक्षक)
- वरवर रॉव (कवि)

6 जून 2018

- शोमा सेन (कॉलेज शिक्षक, महिला अधिकारों के लिए कार्यरत)
- रोना विल्सन (बंधियों की रिहाई के लिए कार्यरत)
- सुधीर धावाले (मराठी कवि)
- महेश राउत (विस्थापन विरोधी कार्यकर्ता)
- सुरेन्द्र गैडलिंग (वकिल व मानवाधिकार संरक्षक)

28 अगस्त 2018 घरों में पुलिस द्वारा छापा मारी

- आनंदटैलटूमडे (प्रोफेसर, लेखक व अम्बेडकर अध्येता)
- फादरस्टैनस्वामी (आदिवासी हकों के लिए कार्यरत)
- के. सत्यनारायण (प्रोफेसर व अम्बेडकर अध्येता)
- सूज़नएब्रैहम (वकिल)
- कुमरन्त (पत्रकार)
- क्रान्ति तेलुका (फोटोपत्रकार)

28 अगस्त 2018 को पुणे पुलिस ने देश के 5 जाने-माने मानव अधिकार कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया तथा 6 अन्य के घरों पर छापे मारे। 6 जून 2018 को की गई 5 अन्य कार्यकर्ताओं की गिरफ़्तारी के ही क्रम मे यह गिरफ्तारियाँ भी की गई। इन सभी 5+5 को माओवादी करार दिया गया। 1 जनवरी, 2018 को भीमा कोरेगांव जाते हुए दलितों के जत्थों पर हुई हिंसा को, पुणे में संपन्न हुई 31 दिसंबर 2017 की एल्गार परिषद (अह्वान बैठक) के माथे, हिंसा भड़काने का झूठा आरोप मढ़ा गया । इन 10 लोगों को इसकी साजिश का आरोपी करार दिया गया ।

एक नजर डालें उन लोगों पर जो गिरफ्तार हुए या जिनके घर पर छापामारी की गई वे सभी मानव अधिकार कार्यकर्ता, ट्रेड यूनियनकर्ता, वकील, लेखक, सांस्कृतिक कर्मी आदि है। साफ जाहिर है कि यह कार्यवाही असहमति ज़ाहिर करने की आज़ादी, कानूनी रूप से आरोपियों के बचाव पक्ष में खड़े होने की आज़ादी व संगठित करने के हकों पर सीधा हमला है। इन गिरफ्तारियों का ख़ास मकसद था की आम कार्यकर्ता में डर पैदा हो ।

पुलिस ने जिन 11 लोगों के घरों पर छापे मारे उनके घरों से मोबाइल, फोन, लैपटॉप, पेन ड्राइव और अंबेडकर और मार्क्स आदि की किताबों को भी ज़ब्त कर लिया गया। इसके साथ ही उन्होंने सभी सोशल सोशल मीडिया एकाउंट्स जैसे ईमेल, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के पासवर्ड ले लिए। यहां तक की वकील सुधा भारद्वाज की बेटी के सोशल मीडिया के तमाम पासवर्ड मांगे गए।

28 अगस्त व 5 जून की गिरफ्तारीओं को पुणे के विश्रामबाग पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR नंबर 004/2018 से जोड़ा गया, जिसमें इनके नाम तक नहीं है । 28 अगस्त को तो पुणे पुलिस ने हद ही कर दी । सभी कानूनी प्रक्रियाओं को ताक में रख कर गिरफ्तारियां व छापामारी की । यह सारी कार्यवाही मुंबई को छोड़ कर महाराष्ट्र के बहार के शहरों में की गई, फिर भी बिना अनुवाद के छापामारी व गिरफ्तारी के कागज़ात मराठी में लिख कर लाए गए थे । केस डायरी मराठी में । भला, आरोपी व मजिस्ट्रेट कैसे समझेंगे की किस अपराध में यह सब कार्यवाही की जा रही हैं । और तो और पंचनामा पर हस्ताक्षर, स्थानीय लोगों से नहीं करवाया गया बल्कि पुणे नगर निगम से अनेक बाबू इन शहरों में लाए गए इस कार्यवाही के लिए । यहाँ तक की पुणे पुलिस ने बिना हस्ताक्षर की गई, मराठी शब्दों से भरी चिट्ठियों को अदालत में पेश करने के बजाय, उन्हें प्रेस सम्मेलनों में पेश किया व मीडिया ट्रायल भी TV स्टूडियोज में रचा गया । दूसरी तरफ बीच रात में भी गिरफ्तार हुए एक कार्यकर्ता के वकील ने पुणे पुलिस की गैरकानूनी प्रक्रिया को रुकवाया और अंततः उच्चतम न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश के तहत, सभी गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को उनके घरों में नज़रबंद कर दिया । सवाल उठता है की क्या यह सब इसलिए किया गया की लोगों को उनके असली सामाजिक व आर्थिक मुद्दे, जैसे बढ़ते पेट्रोल की कीमतें, रूपये की गिरती कीमत से ध्यान बटाना ।

एल्गार परिषद् क्या था

1 जनवरी, 2018 को भीमा कोरेगांव जीत की 200वीं वर्षगाँठ थी । एल्गार परिषद या अह्वान बैठक का कार्यक्रम 31 दिसंबर 2017 में पुणे की शनिवारवाडा किला में रखा गया था। दो पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में महाराष्ट्र के ढाई सौ से ज्यादा संगठन, जिसमें सभी अंबेडकरवादी, समाजवादी, वामपंथी इत्यादि संगठन थे, ने यह एल्गार परिषद् आयोजित किया ।

भीमा कोरेगांव, पुणे से 30 किलोमीटर दूर एक गांव है, जिसमे 1 जनवरी को हर साल लाखों दलित, वहां बनाविजय स्तंभ पर जीत की बरसी मनाने के लिए जुटते हैं। 1818 में अंग्रेजों की सेना की एक टुकड़ी, जो महार दलित सिपाहियों की थी, ने पेशवा बाजीराव-II, की भारी सेना को हराया था। बाजीराव द्वितीय का शासन, गैर सवर्ण जातियों के खिलाफ शोषणकारी माना जाना जाता है। पहली बार इस वर्ष 1 जनवरी 2018 को जब दलित जत्थे भीमा कोरेगांव में विजय स्तंभ को अपने अभिनंदन देने इक्ट्ठे हुए तो उन पर भगवा झंडा लिए लोगों ने हमला किया।

इस अभिनन्दन कार्यक्रम में शामिल हुए एक व्यक्ति ने पहली एक FIR, 2 जनवरी 2018 को दर्ज करवाई । इसकी जांच पुणे ग्रामीण पुलिस के ज़रिये की जा रही है । जग ज़ाहिर की इस हमले का नेतृत्व व मुख्य नायक दो लोग हैं, जिनका नाम मिलिंद एकबोटे (कार्यकारी अध्यक्ष, समस्त हिंदू आगाडी और गौ रक्षा अभियान) और संभाजी भिड़े (संस्थापक, शिवप्रतिष्ठान संगठन, पूर्व सदस्य आर एस एस और प्रधानमंत्री द्वारा माने गए गुरु) है। चश्मदीद गवाहों का मानना है की अन्य सवर्ण जाति संगठन भी इस हिंसा में जुडे थे।

गौर करने की बात है की इस हिंसा के 7 दिन बाद सोच समझ कर तुषार दामगुडे नमक एक व्यक्ति ने, दूसरी FIR नंबर 004/2018 दर्ज़ की गई (यह व्यक्ति खुले रुप से संभाजी भिडे की फेसबुक पर उनका प्रशंसक है)। FIR में

इल्जाम लगाया गया कि यह हिंसा एल्गार परिषद् में हुए भड़काऊ भाषणों का परिणाम है। बेर्टोल्ट ब्रेक्ट द्वारा लिखा नाटक "द गुड पर्सन ऑफ़ शैज़वान" की कुछ मराठी में अनुवादित पंक्तियां को परिषद् में गाया गया, जिसे FIR में हिंसा भड़काने का आधार बनाया गया। शरारत पूर्ण तरीके से इस हिंसा में नक्सल और माओवादी को लाया गया, यह कहते हुए की आयोजकों में से एक सदस्य की पूर्व में भी नक्सली से सम्बन्ध होने की जांच हुई थी।

पूर्व में पुणे पुलिस 2 जनवरी की FIR की जांच कर रही थी। यहाँ तक की जब मिलिंद एकबोटे उच्चतम न्यायालय से अग्रिम ज़मानत लेने पहुंचे तब महाराष्ट्र पुलिस ने अपने हलफनामे में आरोपी मिलिंद एकबोटे को 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव जा रहे जथों पर हुए हमले के साजिशकर्ता व हमलावर के रूप में प्रस्तुत किया था। उच्चतम न्यायलय में मिलिंद एकबोटे की अंतरिम ज़मानत ख़ारिज हुई और उन्हें पुणे पुलिस ने मार्च महीने में गिरफ्तार किया। उन्हें 20 अप्रैल को ज़मानत मिली, जिसे पुणे पुलिस ने ऊँची अदालत में चुनौती भी नहीं दी।

पुणे पुलिस की भूमिका संदेहस्पद इसलिए भी है, क्यूंकि अचानक से पुणे पुलिस ने 2 जनवरी की FIR को ठन्डे बस्ते में डाल दी और पलटी मार कर FIR 4/18 को जाँच बना दिया। यह कहते हुए की एल्गार परिषद् के मंच का उपयोग प्रतिबंदिथ समूह, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) ने भारत को अस्थिर करने की साजिश बतौर, दलित भावनाओं को भड़काया और हिंसा के लिए उकसाया। एल्गार शब्द का अर्थ होता है एक "आवाहन"। महाराष्ट्र सरकार ने अपने शपथ पत्र में कहा की यह **"एल्गार परिषद्"** नहीं था बल्कि **"यलगार परिषद्"** था। यलगार शब्द का अर्थ मराठी में "हमला" होता है। शब्द को तोड़ मरोड़ कर अर्थ का अनर्थ करके, माओवादियों के साथ संबंध बताएं, महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा करके दलित समुदायों का अपमान किया, उन पर संदेह का आवरण डाला, अपमानित किया, यही नहीं बल्कि उनके संगठित हो कर हकों की मांग करने की ताकत को अवैध करार करने की कोशिश की है। क्या यह राज्य द्वारा दलितों पर हमला व उत्पीड़न नहीं माना जायेगा ? कोरेगांव में दलितों पर हुए हमले के विरुद्ध 2 जनवरी को महाराष्ट्र बंद का आह्वान दलितों के संगठनो ने दिया था। इस दरमयान हुई हिंसा के दौरान दलितों के ऊपर 600 से अधिक FIR दर्ज किये गए।

पुणे नगर निगम के उप महापौर सिद्धार्थ ढेंडे ने जनवरी में की गई अपनी जांच रपट में कहा की हिंदुत्ववादी संगठनो द्वारा वितरित पर्चे में भीमा कोरेगांव युद्ध के इतिहास को गलत प्रस्तुत किया था और इन पर्चों से सवर्ण संगठनों को दलितों पर हिंसा करने के लिए भड़काया गया। इसके साथ ही TV चैनल द्वारा एक और कोशिश चालू की गई, खास तौर से कुछ वीडियो चैनल द्वारा, इन सभी कार्यकर्ताओं की झूठी कहानियां बनाकर उनपर कीचड़ उछालने की कोशिश की। भीमा कोरेगांव केस में जिन 5 लोगों को जून में गिरफ्तार किया गया उनमें से दिल्ली के रोना विल्सन के एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से पत्र मिला, जिसमें राजीव गाँधी के सामान वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री को मारने की साजिश का जिक्र था। इन चैनलों ने अपनी ओर से खबरों में और सोशल मीडिया में निष्कर्ष देना शुरू कर दिया।

मजेदार बात है कि अभी तक प्रधानमंत्री की हत्या के साजिश जैसे गंभीर मुद्दे पर कोई नई FIR तक दाखिल नहीं की गई और अभी भी इस पर मात्र पुणे पुलिस द्वारा जांच ही की जा रही है। यह सबूत सुप्रीम कोर्ट में पहली बार 19 सितंबर 2018 को प्रस्तुत किए गए। इसके पहले किसी भी गिरफ्तारी के समय नीचे की अदालतों में कभी प्रस्तुत नहीं किए गए। यहाँ तक की उच्चतम न्यायालय में बचाव पक्ष के वकीलों द्वारा जजों को जब यह पत्र दिखाए गए, तो इस बात पर गौर किया गया की हिंदी भाषी लोगों ने कैसे मराठी शब्दों से भरे पत्र को लिखा होगा।

कुल मिला कर पुणे पुलिस व वर्तमान सरकार द्वारा एक साजिश के तहत जाने माने सामाजिक कार्यकर्ताओं की छवि को गिराना, विधि विरुद्ध गतिविधि निरोधक कानून (UAPA) के आड़ में लम्बा जेल भेजना, क्यूंकि इस कानून में ज़मानत का प्रावधान ही नहीं है। साथ ही दलित व आदिवासी आन्दोलन को माओवादी आवरण देना। सबसे गंभीर कोशिश तो यह की जा रही है की जो भी आम इंसान, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक हो या सामाजिक व राजनैतिक कार्यकर्ता सरकार की नीति की आलोचना कलम से या लोकतान्त्रिक ढंग से, उसके विरुद्ध आन्दोलन कर रहे है, उन्हे माओवादी व अर्बन नक्सल करार करना। एक और नया ट्रेंड जो दिख रहा है की पहली बार वकीलों को इस बड़े पैमाने में गिरफ्तार किया जा रहा है, जैसे की कानूनी रूप से बचाव करना अपराध है। साथ ही संगठित करने के अधिकार पर भी कुठाराघात करना, क्यूंकि इन कार्यकर्ताओं में से अनेक ट्रेड यूनियन भी बनाते हैं। इसलिए सरकार की नीतियों से असहमति, कानूनी रूप में बचाव करना और गरीबों को संगठित करने को अब अपराधिक श्रेणी में डाला जा रहा है। राज्य के लोकतांत्रिक चरित्र को तोड़ मरोड़ वर्तमान सरकार राज्य को एक भयावह, फासीवाद वतानाशाही का स्वरुप देना चाह रही।

जब उच्चतम न्यायालय ने असहमति के अधिकार को लोकतंत्र की सुरक्षा के रूप में माना है तो हमारी मांगे स्पष्ट हैं की पुणे पुलिस द्वारा भीमा कोरेगांव हिंसा की आड़ में गिरफ्तार किये गए सभी 5+5 कार्यकर्ताओं को तुरंत रिहा किया जाये और फर्जी मामले वापस लिए जाये। साथ ही असली आरोपी मिलिंद एकबोटे, संभाजी भिड़े व अन्य को गिरफ्तार किये जाए।

इस वक्त ज़रुरत है की समाज के हर तपके से लोग साथ आएं, एकजुट हों और एक आवाज़ में UAPA जैसे गैर लोकतान्त्रिक कानून को हटाने की मांग करें, गाय के नाम पर पीट-पीट कर मार डालने वाला सिलसिला तुरंत बंद होने की मांग करें और इस अघोषित आपातकाल से मुक्त होने की मांग पुरजोर रूप से उठाई जाए।

किस किस को कैद करोगे?

Contact: dissent.defend.organize@gmail.com

आज भारत आज़ाद नहीं है। उसके लोग दास हैं। यह एक कड़वा सच है। इस देश में दास को दास बोलना, अन्याय को अन्याय बोलना देशद्रोह है। यह न्याय का शासन नहीं कहलायेगा। ज़बरन, सच को झूठ में बदलना, अन्याय को न्याय में बदलना, रात को दिन में बदलना - क्या सच इसे झेल पायेगा। क्या ऐसा शासन लम्बा चल पायेगा। यह इसलिए संभव हुआ क्यूंकि सच आँखों से ओझल हो गया था। अब सच जाग उठा है! क्या मैं एक बागी हूँ क्यूंकि मैंने अन्याय से दबे हुए सच की निर्बल आवाज़ को उठाया? क्या यह मेरी खुद की आवाज़ तो नहीं थी ? या क्या यह बुलंद आवाज़ सभी दबे कुचले, ज़मीन व आसमान की थी। मुझे पता है की यह बुलंद आवाज़ मेरी अकेली की नहीं है पर दुनिया भर के दुःख की आवाज़ है। यह आवाज़, मुझे डराने, या मरने से नहीं दबेगी। अचानक से किसी और की जुबां से, मेरी यह बात गरजेगी।

-काज़ी नजरुल इस्लाम, " एक राजनैतिक बंदी का बयान"